जी. सी. मित्तल के समक्ष, जे

पोखार सिंह,-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य,-उत्तरदाता।

नियमित प्रथम अपील सं. 1978 की 1707।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1) - धारा 3-डी, 18, 26 और 54 परिसीमा अधिनियम(1963 का 36) - धारा 5 - के तहत संदर्भ

धारा 18 को कालबाधित मानकर खारिज कर दिया गया - ऐसा आदेश- चाहे अपील योग्य हो-(अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिला न्यायाधीश का न्यायालय-क्या धारा 3 डी के अर्थ के अंतर्गत एक 'न्यायालय' है ताकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की खंड 26 (2) को संशोधित करने से पता चलता है कि अधिनियम के तहत प्रत्येक पुरस्कार को एक डिक्री माना जाता है और पुरस्कार के आधार का विवरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की खंड 2, खंड (2) और खंड 2, खंड (9) के अर्थ के भीतर एक निर्णय है। इसलिए, अधिनियम की खंड 18 के तहत संदर्भ का प्रत्येक अंतिम निर्णय, चाहे संदर्भ को अस्वीकार करना हो या मुआवजे को बढ़ाना, संहिता के अर्थ के भीतर एक निर्णय होगा और इस तरह एक पुरस्कार होगा और एक डिक्री के रूप में निष्पादित किया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार या पुरस्कार के हिस्से से अधिनियम की खंड 54 के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाती है।इसलिए, अधिनियम की खंड 18 के तहत किए गए संदर्भ पर कोई भी निर्णय एक निर्णय और पुरस्कार होगा और अधिनियम के अर्थ के भीतर एक निर्णय और डिक्री के रूप में माना जाएगा और इस तरह से अपील योग्य होगा। (पैरा 6 और 7)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम स्वयं खंड 3-डी में 'न्यायालय' को मूल क्षेत्राधिकार का एक प्रमुख दीवानी न्यायालय के रूप में परिभाषित करता है, जब तक कि उपयुक्त सरकार ने इस अधिनियम के तहत न्यायालय के कार्यों को करने के लिए किसी निर्दिष्ट स्थानीय सीमा के भीतर एक विशेष न्यायिक अधिकारी को नियुक्त नहीं किया है। जिला न्यायालय और सभी अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को अधिनियम की खंड 3-डी के अर्थ के भीतर 'अदालतों' के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और इसलिए, वे अदालतें हैं न कि विशेष न्यायालय।(पैरा 15)

श्री जे. सी. नागपिडल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक, दिनांक 31 अगस्त, 1978 के न्यायालय के आदेश से नियमित पहली अपील, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य रु। 100 प्रति मारिया, लेकिन चूंकि संदर्भ आवेदन को समय वर्जित माना गया था, इसलिए उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था।
एम्बर, 1973 ने मुआवजे की अनुमति दी (यह रु। 6, 000 प्रति एकड़।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सी. एम. चोपड़ा।

भूप सिंह, अतिरिक्त ए. जी., हरियाणा और एस. एस. अहलावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

फैसला

गोकल चंद मित्तल, जे.

(1) 31 जनवरी 1973 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, हरियाणा राज्य ने गांव बोहर,

जिला रोहतक में पर्यटक परिसर और एक झील की स्थापना के लिए 132 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अपने पुरस्कार/ अनुग्रह दिनांक 26 नवंबर, 1973 द्वारा, 6,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की अनुमति दी। दावेदार ने असंतुष्ट महसूस किया और भूमि अधिग्रहण अधिनियम (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रोहतक के समक्ष विचार के लिए आया,जिन्होंने पार्टियों की प्रतियोगिता/ मुकाबले पर पांच मुद्दे तय किए, जिनमें से निम्नलिखित दो मुद्दे हैं इस मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैंः—

1 क्या दावेदार द्वारा की गई याचिका या संदर्भ समय से बाधित है क्योंकि पुरस्कार/ अनुग्रह की घोषणा 28 नवंबर 1973 को की गई थी, जबकि संदर्भ बनाने के लिए आवेदन 14 जनवरी 1974 को किया गया था?

2 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तारीख को प्रश्नगत भूमि का बाजार मूल्य क्या था?

(2)सबूत पेश किए जाने के बाद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 31 अगस्त 1978 द्वारा दावेदार के खिलाफ पहला मुद्दा तय किया और माना कि संदर्भ आवेदन समय-बाधित था क्योंकि पुरस्कार/ अनुग्रह 28 नवंबर 1973 को दिया गया था। जब दावेदार अधिनियम की धारा 9 के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में उपस्थित था और संदर्भ आवेदन 14 जनवरी 1974 को अधिनियम की धारा 18 के अनुसार बयालीस दिनों से अधिक समय के बाद दायर किया गया था ।

(3) दूसरे मुद्दे पर यह निष्कर्ष निकला कि अधिग्रहीत भूमि का बाजार मूल्य 100 रुपये प्रति मरला था, लेकिन चूंकि संदर्भ आवेदन को समय वर्जित माना गया था, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया था। असंतुष्ट होकर दावेदार इस न्यायालय में अपील करने आया है।

(4) जहां तक गुण-दोष के आधार पर मुद्दे का संबंध है, पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि श्यो राम बनाम चंदगी राम और अन्य (1)में इस अदालत की खंडपीठ के फैसले के मद्देनजर, इस मामले में 140 रुपये प्रति मरला की दर से बाजार मूल्य तय किया जाना चाहिए। जिसमें अधिसूचना, दिनांक 11 नवंबर 1969 द्वारा उसी गांव में अधिग्रहण के लिए 140 रुपये प्रति मरला. की दर से मुआवजा दिया गया था। तदनुसार, अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य 140 रुपये प्रति मरला की दर से तय किया गया है।

(5) परिसीमा के बिंदु पर आते हुए, हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि इस अदालत में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ

(1) 1979 पी.जे.एल. 416.

कोई अपील संभव नहीं है, अदालत ने संदर्भ को समयबाधित के रूप में खारिज कर दिया गया है।उनके मुताबिक ऐसा निर्णय अधिनियम की धारा 54 के दायरे में नहीं आता है। इस संबंध में नफीस-उद्दीन और अन्य बनाम दूसरे राज्य सचिव [2] मामले में लाहौर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है।

(6) मैंने नफीस-उद-दीन के मामले (सुप्रा) में निर्णय का अध्ययन किया है और पाया है कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है, सिवाय इसके कि गुलाम मोहि-उद-दीन और एक अन्य बनाम भारत के राज्य सचिव [3] पर निर्भरता रखी गई है। जिसके बदले में हसुम मोल्ला बनाम तसीरुद्दीन [4] पर भरोसा जताया गया था। गुलाम मुही-उद-दीन और अन्य का मामला (सुप्रा) और हुसुम मोल्ला का मामला (सुप्रा) का फैसला अधिनियम की धारा 26 और 54 में किए गए संशोधनों से बहुत पहले किया गया था, जो 1921 के अधिनियम 19 द्वारा किए गए थे। संशोधित खंड 26 (2) को पढ़ने से पता चलता है कि अधिनियम के तहत प्रत्येक पुरस्कार/ अनुग्रह को एक डिक्री माना जाता है और पुरस्कार/ अनुग्रह के आधार का विवरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की क्रमशः धारा 2, खंड (2), और धारा 2, खंड (9) के अर्थ में एक निर्णय है। इसलिए, अधिनियम की धारा 18 के तहत किए गए संदर्भ का प्रत्येक अंतिम निर्णय, चाहे संदर्भ को अस्वीकार करना हो या मुआवजा बढ़ाना हो, सिविल प्रक्रिया संहिता के अर्थ के तहत निर्णय होगा और इस तरह एक पुरस्कार/अनुग्रह होगा और एक डिक्री के रूप में निष्पादन योग्य होगा।

(7) प्रत्येक पुरस्कार या पुरस्कार के भाग के खिलाफ अधिनियम की धारा 54 के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जाती है इसलिए, अधिनियम की खंड 18 के तहत किए गए संदर्भ पर कोई भी निर्णय एक निर्णय और पुरस्कार होगा और अधिनियम के अर्थ के भीतर एक निर्णय और डिक्री के रूप में माना जाएगा और इस तरह से अपील योग्य होगा।हसन मोल्ला के मामले (सुप्रा) और गुलाम मोहि-उद-दीन मामले (सुप्रा)में निर्णय प्रावधानों पर आगे बढ़ा और इसलिए, अब इस क्षेत्र में नहीं रह सकता है। चूँकि उपरोक्त दो निर्णयों का नफीस-उद-दीन मामले (सुप्रा) में बिना अधिक चर्चा के पालन किया गया था,यह दावेदार के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी , क्योंकि मेरी राय है कि भले ही एक संदर्भ आवेदन को परिसीमा के बिंदु पर खारिज कर दिया गया हो, इसे गुण-दोष के आधार पर निर्णय माना जाएगा और समयबाधित के रूप में किसी संदर्भ

---

(2) ए. आई. आर. 1927 लाहौर 858।
(3) 48 पंजाब रिकॉर्ड 1914।
(4) (1912) आई. एल. आर. 39 कलकत्ता 393.

को अस्वीकार करने के निर्णय के खिलाफ निश्चित रूप से एक अपील की जाएगी, क्योंकि यह धारा 26 के अर्थ के साथ एक निर्णय और डिग्री होगी और अधिनियम की धारा 54 के तहत अपील योग्य होगी।

(8) मेरे उपरोक्त दृष्टिकोण को जी गोपालस्वामी बनाम नवलगारिया और अन्य(5) में न्यायमूर्ति कैलासम, जे. के फैसले से समर्थन मिलता है, जहां यह माना गया था कि मोटर वाहन अधिनियम 1939 के तहत, यदि दावा आवेदन को समय बाधित के रूप में खारिज कर दिया जाता है, तो वहाँ एक अपील की जा सकती है।, क्योंकि ऐसा आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110 ए(3), 110-बी और 110-डी के अर्थ के अंतर्गत दिया जाता है। बचन सिंह और अन्य बनाम मोहिंदर कौर और अन्य (6) मामले में इस अदालत की एक खंडपीठ के फैसले में,मुख्य न्यायाधीश और मेरे द्वारा निर्णय लिया गया,निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं।

"अधिनिर्णय' शब्द के अर्थ पर शोध प्रबंध शुरू किए बिना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी मामले में धारा 110-बी में इसका उपयोग यह स्पष्ट करता है कि 'अधिनिर्णय' जो विधायिका के दिमाग में था, वह मुआवजे की राशि का अंतिम निर्धारण था या अन्यथा जिस पर न्यायाधिकरण पहुंच सकता है।संक्षेप में, यह केवल तब होता है जब मुआवजे के दावे को या तो अनुमति दी जाती है या अस्वीकार कर दिया जाता है, इसे मुआवजे की राशि का निर्धारण करने वाला 'अवार्ड' कहा जा सकता है जो न्यायाधिकरण को न्यायसंगत और आगे उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त परिच्छेद को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत चाहे दावा आवेदन की अनुमति दी जाए या अस्वीकार कर दिया जाए, इसे अभी भी एक पुरस्कार के रूप में कहा जाता है और यह अपील योग्य है।

(9) कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाना स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 54 की व्याख्या को नकारना होगा और संसद के अंतर्निहित उद्देश्य को बढ़ावा देने के बजाय उसे ही विफल कर देगा।

(10) नफीस-उद-दीन के मामले (सुप्रा) में दिया गया अतिरिक्त तर्क यह था कि मुख्य न्यायालय की एक खंडपीठ ने भगवान दास बनाम लाहौर के कलेक्टर (7) में कहा था कि अधिनियम की धारा 18(1) में निर्धारित धारा 12, परिसीमा अधिनियम, 1877,तहत एक आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की गणना करना में लागू नहीं होती है।

(5) ए. आई. आर. 1967 मद्रास 403.
(6) 1977 का एल. पी. ए. 378 21 मार्च, 1979 को तय किया गया।
(7) 79 पंजाब रिकॉर्ड 1904

और इसलिए, धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा निर्धारित अवधि की गणना करने में अनुदान की एक प्रति प्राप्त करने में आवश्यक समय की कटौती नहीं की जा सकती है। उपरोक्त कारण, किसी भी तरह से, इस तर्क को एक उचित निष्कर्ष पर आगे नहीं बढ़ाता है कि जिला अदालत के संदर्भ को इस आधार पर खारिज करने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी कि धारा 18 के तहत किया गया संदर्भ समय बाधित था।

(11) ऊपर अभिलिखित कारणों से, वर्ष 1921 में किए गए संशोधनों के बाद, अधिनियम की धारा 26 और 54 को पढ़ने पर मेरा विचार है कि अधिनियम की खंड 18 के तहत किए गए संदर्भ को अस्वीकार करने के जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।, परिणामस्वरूप मैं प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करता हूं।

(12)इस बिंदु पर आते हुए कि क्या अधिनियम की खंड 18 के तहत किया गया संदर्भ आवेदन समय द्वारा वर्जित था, यह महत्वपूर्ण है कि रिकॉर्ड पर लाए गए कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जाए। दावेदार को अधिनियम की खंड 9 के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के सामने अपना दावा दायर करने के लिए पेश होने का नोटिस मिला। दावेदार पेश हुआ और अधिग्रहण पर आपत्ति जताई और बाजार मूल्य का दावा किया।दावेदार ने बाजार मूल्य को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर मांगा। इसके बाद, दस्तावेज़ प्रदर्शनी आर 2 से पता चलता है कि लगभग 37 दावेदार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के सामने पेश हुए और बयान दिया, अधिग्रहण पर आपत्ति जताई और दस्तावेजी सबूत पेश करने का अवसर मांगा। यहां तक कि हजारी सिंह रीडर ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को आर. डब्ल्यू. आई. 2 के रूप में पेश हुए और जिरह में स्वीकार किया कि अधिकारधारकों ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष संयुक्त बयान में कहा था कि उन्हें सबूत पेश करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।इसके बाद उसी दिन फैसला सुनाया गया और फैसले के पैरा 5 में, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने देखा कि दावेदारों ने 50,000 से 60,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजे की मांग की थी।फैसले में यह भी कहा गया कि किसी भी दावेदार द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।फैसले के अंत में, एक उल्लेख है कि दावा दायर करने के लिए अधिनियम की खंड 9 के तहत नोटिस के अनुसरण में उनके सामने मौजूद सभी व्यक्तियों के लिए इसकी घोषणा की गई थी।

(13)निचली अदालत ने बिना किसी चर्चा के संदर्भ को समय-अवरुद्ध रखने में केवल दो तारीखों पर ध्यान दिया है और वे हैं कि फैसले की घोषणा 28 नवंबर,

1973 को की गई थी, जब दावेदार अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित था और संदर्भ आवेदन 14 जनवरी, 1974,को दायर किया गया था और इसलिए, यह समय से बाधित था।कुछ और तथ्य रिकॉर्ड पर आये हैं जिन पर निचली अदालत का ध्यान नहीं गया है।पहला यह कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रीडर हजारी सिंह आरडब्ल्यू 2 के अनुसार केवल 14 दावेदार उपस्थित थे जिनकी उपस्थिति में अधिनिर्णय की घोषणा की गई थी जबकि प्रदर्शनी आर 2 के अनुसार 37 व्यक्ति उपस्थित थे जिन्होंने दावा भरने के संबंध में बयान दिया था।हालाँकि, अधिनिर्णय का कहना है कि इसकी घोषणा उन सभी व्यक्तियों के लिए की गई थी जो अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस के अनुसरण में उपस्थित थे। इसलिए रीडर के बयान और अधिनिर्णय में दिए गए बयान के बीच स्पष्ट असंगतता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 37 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए थे और जब उन्होंने दस्तावेजी सबूत पेश करने का अवसर का दावा किया तो मामले को रोक दिया गया और उनके चले जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में अधिनिर्णय की घोषणा की गई। यदि पुरस्कार की घोषणा उनकी उपस्थिति में की गई थी, तो भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को अवसर देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेना था, जो कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर की कार्यवाही या उसके द्वारा दिए गए पुरस्कार में कहीं भी शामिल नहीं है, हालांकि एक उल्लेख है कि दावेदारों ने अपने मामले के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पूरे रिकॉर्ड को पढ़ने से उन मामलों की सुखद स्थिति नहीं दिखती है जिनमें कार्यवाही भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा संचालित की गई थी और भूमि अधिग्रहण के मामलों में जहां भूमि मालिकों को उनकी संपत्ति से वंचित किया गया है एक निश्चित अवधि के भीतर संदर्भ आवेदन दाखिल करने जैसे तकनीकी प्रावधान है ,संबंधित अधिकारी को प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने और पुरस्कार की घोषणा के समय उसके सामने उपस्थित व्यक्तियों के साक्ष्य दर्ज करने और उस पर पुरस्कार सुनने के प्रतीक के रूप में उनके हस्ताक्षर लेने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी।मेरे सामने कुल मिलाकर सात मामले हैं जिनमें यह माना गया कि पुरस्कार की घोषणा उनकी उपस्थिति में की गई थी और संदर्भ आवेदन सीमा से परे दायर किया गया था।इससे भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा एक सही प्रक्रिया के पालन पर संदेह पैदा होता है।तदनुसार, मेरी राय है कि पुरस्कार की घोषणा के समय दावेदारों में से कोई भी उपस्थित नहीं था और यही कारण है कि पुरस्कार सुनने के बाद उनके हस्ताक्षर नहीं लिए गए औरनीचे दिए गए सामान्य बयान का भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रीडर हजारी सिंह के बयान से खंडन होता है, जैसा कि उनके बयान को RW2 के रूप में पढ़ने से स्पष्ट है।

(14) सीमा का सवाल यहीं नहीं रुकता है।अधिनियम की धारा 18 के तहत दायर संदर्भ के आवेदन के साथ, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी इस आधार पर देरी की माफी के लिए दायर किया गया था कि दावेदार 7 जनवरी, 1974 से 13 जनवरी, 1974 तक बीमार था, और दावा आवेदन 14 जनवरी, 1974 को दायर किया गया था।यद्यपि सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन पर कोई विशिष्ट आदेश नहीं है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने यह पुष्टि करते हुए संदर्भ आवेदन को संदर्भित किया कि यह सीमा के भीतर था। यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि निचली अदालत ने मामले के इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है।

(15)हरियाणा के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आग्रह किया है कि दावेदार के विद्वान वकील के तर्क में योग्यता होगी, बशर्ते कि परिसीमन अधिनियम की धारा 5 लागू हो। उनके अनुसार, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 केवल अदालत के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है। जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अर्थ में एक अदालत नहीं है और एक विशेष न्यायाधिकरण है और इसलिए, सीमा अधिनियम उस पर लागू नहीं होगा। इस तर्क से प्रभावित नहीं हूं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 3-डी में 'न्यायालय' को मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है,जब तक कि उपयुक्त सरकार ने इस अधिनियम के तहत अदालत के कार्यों को करने के लिए किसी निर्दिष्ट स्थानीय सीमा के भीतर एक विशेष न्यायिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया हो।वर्तमान मामले में, जिला अदालत और सभी अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को अधिनियम के अर्थ के भीतर अदालतों के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है और इसलिए, वे अदालतें हैं न कि विशेष न्यायाधिकरण, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आग्रह किया है। इसलिए केवल इसी तर्क पर, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की लागू होगी।

(16) भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ आवेदनों पर निर्णय लेने वाले जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विशेष न्यायिक अधिकारी या विशेष न्यायाधिकरण हैं, तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 उसकी धारा 29(2) के आधार पर लागू होगी। विद्वान अपर महाधिवक्ता का पक्ष यह है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के आधार पर, धारा 4 से 24 के प्रावधानों को केवल विशेष कानून के तहत बनाए गए न्यायालयों तक बढ़ाया जा सकता है, न कि विशेष कानून के तहत बनाए गए न्यायिक न्यायाधिकरणों तक।

मुझे इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं मिलती है। कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, यूपी बनाम मदन लाल (8) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यूपी सेल टैक्स एक्ट, लिमिटेशन एक्ट की धारा 29(2) के तहत एक विशेष कानून है। और परिसीमन अधिनियम की धारा 4 से 24 यूपी बिक्री कर अधिनियम के तहत बनाए गए अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकारियों के समक्ष विभिन्न कार्यवाहियों पर लागू होगी। इस अदालत की पूर्ण पीठ ने मैसर्स भारत रबर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज बनाम पंजाब राज्य (9) मामले में भी यही विचार रखा है।तदनुसार मेरा मानना है कि भले ही अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए नियुक्त न्यायिक अधिकारी विशेष अदालतें या न्यायाधिकरण थे, फिर भी परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 उनके समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगी और इसलिए, धारा 5 वर्तमान मामले पर लागू होती है।

(17)परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को पढ़ने से पता चलता है कि किसी भी आवेदन को निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि आवेदन संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था।इसलिए एक बार जब भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने यह कहते हुए मामले को जिला अदालत में भेज दिया कि आवेदन सीमा के भीतर था, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने देरी को माफ कर दिया है।मामले के इस हिस्से को राज्य द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और मैं राज्य के वकील को इस मामले को इस अदालत के समक्ष पहली बार उठाने की अनुमति नहीं देता। हालाँकि, यदि किसी दिए गए मामले में विलंब की माफ़ी पर राज्य द्वारा इस आधार पर आपत्ति जताई जाती है कि यह अप्रासंगिक और असंगत विचारों पर था और सामग्री को रिकॉर्ड पर लाने में सक्षम है, यह जिला अदालत के लिए खुला होगा कि वह इसमें जाए और यह पता लगाए कि देरी को माफ करने में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग उचित था या नहीं।

(18)ऊपर दर्ज कारणों से, मेरा मानना है कि दावेदार द्वारा दायर संदर्भ आवेदन दोनों आधारों पर समय से बाधित नहीं था, कि वह पुरस्कार की घोषणा के समय उपस्थित नहीं था और इसलिए सीमा 6 महीने होगी जबकि आवेदन 2 महीने के भीतर दायर किया गया है, और यह माना जाएगा कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी,यदि कोई हो,को माफ कर दिया है, जिस पर निचली अदालत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

(8) (1976) 38 एसटीसी 543.
(9) 1977 का सी. डब्ल्यू. सं. 3692, 29 फरवरी, 1980 को तय किया गया।

(19)चूंकि संदर्भ आवेदन को सीमा के भीतर माना जाता है, इसलिए मैं अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिए गए 6,000 रुपये प्रति एकड़ के बजाय 140 रुपये प्रति मरला की दर से तय करता हूं और दावेदार अदालत में भुगतान की गई अदालती फीस के अधीन मुआवजे के अंतर का हकदार होगा।

(20) ऊपर दर्ज किए गए कारण के लिए, इस अपील को आनुपातिक लागत के साथ अनुमति दी गई है और चूंकि दावेदार ने अदालत में अपील पर 2998 रुपये की अदालती फीस का भुगतान किया है, लेकिन भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दी गई राशि पर अधिकतम वृद्धि 65,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। उपरोक्त के अलावा, दावेदार कब्ज़ा करने की तारीख से बढ़ी हुई राशि पर भुगतान तक 15% सोलेशियम और 6% प्रति वर्ष ब्याज का हकदार होगा, वकील का शुल्क 200 रुपये होगा।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ कर और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रमाणित द्वारा**:**

सोनिया **(**अनुवादक**/**सहायक**)**

जिला एवं सत्र न्यायालय**,**पानीपत